nwda.gov.in

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में सबसे बड़ी चुनौती : उपराष्ट्रपति

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा आयोजित पर्यावरण-2025 राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि न तो ग्रह हमारे लिए अनन्य हैं और न ही हम इसके मालिक हैं, इसलिए हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखना चाहिए।

वर्ष 1984 के भोपाल गैस त्रासदी को याद करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि गैस रिसाव एक बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही थी। इसके दुष्प्रभाव से चार दशक बाद भी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक विकारों और भूजल प्रदूषण से पीड़ित हैं। हालांकि, इस त्रासदी से सबक अभी भी नहीं सीखा गया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को प्रतीक चिह्न देते एनजीटी चेयरमैन प्रकाश श्रीवास्तव, साथ में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति वीएस नरसिम्हा (बाएं से दाएं) ● सौ. : एनजीटी

- एनजीटी के राष्ट्रीय सम्मेलन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित
- कहा- एक बड़ी पर्यावरणीय लापरवाही थी भोपाल गैस त्रासदी, नहीं लिया सबक

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पर्यावरण संरक्षण में एनजीटी के प्रयासों की सराहना करते हुए, धनखड़ ने कहा कि उनके लिए एनजीटी का मतलब है 'कल के लिए हरियाली का पोषण करना।' पर्यावरण संरक्षण हमारा धर्म है और यह हमारा कर्म होना चाहिए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने एनजीटी की स्मारिका पुस्तक वायस आफ नेचर और ई-जर्नल का विमोचन किया।

सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत में पर्यावरण संबंधी समस्याएं गंभीर हैं, लेकिन उन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है। अगर हम अभी कदम उठाएं, तो हम प्रकृति के संतुलन को बहाल कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

एनजीटी चेयरमैन न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता पर सार्थक चर्चा हुई और इमसें कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, नीति निर्माता, कानूनी विशेषज्ञ और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन में चार सामरिक सत्रों में वायु, जल, वन और सामूहिक रूप से आगे बढ़ने के तरीके पर बहुमूल्य चर्चा हुई।

पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने वाला पहला न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्र में भारत पहला देश है जिसने मानव-केंद्रित दृष्टिकोण से पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। मानव केंद्रित दृष्टिकोण के तहत मनुष्य पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और अन्य प्राणियों और चीजों को मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर महत्व दिया जाता है। हालांकि, पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और उसके घटकों की भलाई को प्राथमिकता देता है।

विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मेलनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने कहा कि वे बड़ी संख्या में हितधारकों को एक साथ लाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में कभी भी मनुष्य को पर्यावरण से श्रेष्ठ नहीं माना गया और पारिस्थितिकी को एक जीवित प्राणी के रूप में देखा, जिसका मनुष्य भी एक हिस्सा है।

पेड़ लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य: राष्ट्रीय सम्मेलन के तकनीकी सत्र में "वन और जैव विविधता संरक्षण" विषय की अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पेड़ लगाकर पर्यावरण को बढ़ावा दे। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों से हटकर ग्रहीय अधिकारों पर चिंतन करना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के विचार को बढ़ावा देना समय की मांग है।